D:\ADN\ALL LETTERS 2017.DOCX200

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(31)पोषा/क्रेच/ICDS/2015/ जयपुर, दिनांक:

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः–आंगनबाडी केन्द्र सह शिशु पालना गृह पर लाभान्वितों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में।

सन्दर्भः–विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 130698–730दिनांक 03.10.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह संचालन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन 125 ग्राम बेबीमिक्स पोषाहार एवं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचड़ी) की एक अतिरिक्त खुराक उपलब्ध कराया जा रही हैं।

अतः उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह पर ठहरने वाले आयुवर्ग 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराये जाने की दरों को संशोधित किया जाकर विभागीय आदेश क्रमाक एफ.3( )पोषा./दरो की त्रै.मा.समी/ICDS/2009/29432–64दिनांक 14.02.2018 के अनुरूप भुगतान करने की स्वीकृत की जाती है। उक्त दरें दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी होगी ।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 161800126 दिनांक 07.02.18 द्वारा दी गई सहमति के क्रम में जारी किये गये हैं।

-Sd-
(शुचि शर्मा)
आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राज. जयपुर।

क्रमांक–एफ. 3(31)पोषा/क्रेच/ICDS/2015/36886-900 जयपुर, दिनांक: 23.2.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्यमंत्री महोदया,महिला एवं बाल विकास विभाग, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक (मो.), मु. को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक 28379 दि.12.02.18 के क्रम में।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in